गबन | टैक्स की चोरी के साथ विकास की राशि की बंदरबाट, टिकुरी पंचायत में फर्जी जीएसटी बिल से भुगतान उजागर

देवर की फर्म को फायदा पहुंचाने सरपंच भाभी ने किए पेमेंट

मझौली नवभारत। जनपद पंचायत मझौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टिकुरी सिल्हटी में सरकारी धन के बंदरबांट का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। महिला सरपंच पर विकास कार्यों के नाम पर जाली जीएसटी बिल लगाकर शासकीय राशि का भुगतान कराए जाने का आरोप लगा है। फर्जी बिलिंग का यह पूरा खेल महिला सरपंच उनके पति और देवर के बीच खेला गया है।

ग्राम पंचायत टिकुरी सिल्हटी की सरपंच सीता चौकसे के द्वारा शासकीय विकास निधि का भुगतान अपने देवर कैलाश चौकसे के नाम से संचालित फर्म 'मेसर्स बड़े बाबा ट्रेडर्स (हार्डवेयर) इंद्राना के मार्फत किए जाने की बात सामने आई है। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद मामले की जांच अपेक्षा जिला प्रशासन से की गई है।

क्या है पूरा मामला?

ग्राम पंचायत टिकुरी सिल्हटी में कराए गए विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों के एवज में सरपंच सीता चौकसे के देवर कैलाश चौकसे की फर्म 'मेसर्स बड़े बाबा ट्रेडर्स ग्राम इन्द्राना कापा के नाम से जीएसटी बिल प्रस्तुत कर सरकारी राशि आहरित की गई। जब इन बिलों की पड़ताल की गई, तो बिलों में दर्ज जीएसटी नंबर अमान्य पाया गया। शासकीय पोर्टलों पर दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार, कैलाश चौकसे की इस फर्म द्वारा पंचायतों में भवन निर्माण सामग्री की फर्जी आपूर्ति दर्शाकर अमान्य जीएसटी बिलों का उपयोग किया गया। उन पर आरोप है कि राजस्व को चूना लगाकर सरकारी खजाने का गबन किया जा रहा है।

सरपंच पद का दुरूपयोग कर रहे पति व देवर

सरपंच श्रीमती सीता चौकसे के देवर कैलाश चौकसे के नाम पर संचालित फर्म होने के कारण बिना किसी निष्पक्ष भौतिक सत्यापन के फर्जी बिलों को धड़ल्ले से पास कराया गया। खबर है कि महिला सरपंच के पद का उनके पति एवं देवर जमकर दुरूपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में जब बलों का परीक्षण किया गया तो मामला उजागर हुआ।

सुरक्षित ऑनलाइन प्रक्रिया में ठगी

ज्ञात हो कि ग्राम पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों की मिलीभगत से इसे ही भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया गया। जाली जीएसटी नंबर से बिल जारी करने से न केवल वाणिज्यिक कर विभाग को भारी राजस्व नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बल्कि ग्राम पंचायत के विकास फंड का भी खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है।

एफआईआर और वसूली की मांग

ग्रामीणों एवं शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन और वाणिज्यिक कर विभाग से मांग की है कि कैलाश चौकसे की फर्म 'बड़े बाबा हार्डवेयर ' द्वारा पंचायतों में किए गए सभी भुगतानों और जीएसटी खातों की बारीकी से जांच के साथ फर्जी बिल जारी करने वाली फर्म के संचालक कैलाश चौकसे एवं संबंधित जिम्मेदार पंचायत प्रतिनिधियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए तथा फर्जी बिलों के जरिए निकाले गए शासकीय धन की त्वरित वसूली की जाए।

पोर्टल से खुला फर्जीवाड़े का राज

'पंचायत दर्पण' ऑनलाइन पोर्टल और 'मेरी पंचायत' पोर्टल पर दर्ज बिलों की प्रतियों से फर्जी जीएसटी नंबर का उपयोग कर भुगतान लेने का पर्दाफाश हुआ है। कमिश्नर जीएसटी विभाग में शिकायत मिलने के बाद यह बात उजागर हुई है। शिकायतकर्ता सुरेश वर्मन ने वाणिज्यिक कर जीएसटी जबलपुर के कमिश्नर एवं संभागीय उपायुक्त कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए बिलों की प्रतियां साक्ष्य के तौर पर सौंपी हैं। यह अनियमितता तब और स्पष्ट हुई जब बिलों पर दर्ज फर्म के संचालकों के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। फर्जी बिलों पर संपर्क के लिए 7869986201 एवं 9009784828 नंबर दर्ज हैं।

खाता खुलने से पहले ही महिला के नाम से निकाला लोन

ठगों की शिकार बनी महिला पहुंची थाने

मझौली, नवभारत, जबलपुर। मझौली क्षेत्र में साइबर और वित्तीय जालसाजी का फिर हैरतअंगेज मामला उजागर हुआ है। यहाँ एक असहाय महिला के नाम का दुरुपयोग कर अज्ञात शातिर ठगों ने हजारों रुपये का लोन निकाल लिया।

इस फर्जीवाड़े की भनक पीड़िता को नहीं लग पाई। महिला जब तक बैंक शाखा पहुंची तब तक उसका सिबिल स्कोर पूरी तरह तबाह हो गया। फर्जीवाड़े से घबराई पीड़िता ने थाना प्रभारी मझौली को शिकायती आवेदन सौंपकर अज्ञात ठगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है।

बैंक में सिबिल चेक कराते ही उड़े होश

मिली जानकारी के अनुसार मझौली नगर के वार्ड क्रमांक 11 पोला रोड निवासी लक्ष्मी बाई साहू पति लल्लू साहू, उम्र 38 वर्ष हाल ही में सेंट्रल बैंक शाखा पहुंची थी। जब उन्होंने अपनी क्रेडिट सिबिल रिपोर्ट निकलवाई, तो उसमें दर्ज जानकारी देखकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई।

रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि 24 जून 2017 को उनके नाम पर 8,000 का लोन स्वीकृत किया गया है, जिसकी किस्तें न चुकाए जाने के कारण उनका सिबिल स्कोर बुरी तरह खराब हो चुका है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 2021 में उसका पहला खाता खुला था तो उसके पहले ही 2017 में किसने दिया लोन निकाल लिया? पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू यह है कि पीड़िता लक्ष्मी बाई साहू का पहला बैंक खाता ही 23 जुलाई 2021 को खुला था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी बैंक या वित्तीय संस्था से कोई लोन नहीं लिया और न ही 2017 से पहले उनका कोई बैंक खाता अस्तित्व में था। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना बैंक खाते और बिना भौतिक सत्यापन के 2017 में लोन किस बैंक या फाइनेंस कंपनी ने पास कर दिया? क्या किसी गिरोह द्वारा फर्जी दस्तावेजों आधार और पैन के जरिए यह फर्जीवाड़ा रचा गया है? उन्होंने संदेह जताया कि इस वित्तीय हेराफेरी में किसी बैंकिंग एजेंट या संस्था की मिलीभगत हो सकती है।

पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता लक्ष्मी बाई ने थाना प्रभारी मझौली को आवेदन देकर मांग की है कि मामले की गहन जांच की जाए। उन अज्ञात ठगों को पकड़ने के साथ संबंधित बैंक शाखा से उन्हें स्पष्ट जानकारी सुलभ करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पूरे साइबर एवं वित्तीय फर्जीवाड़े की निष्पक्षता से जांच होने पर ठगों द्वारा और भी कई लोगों को बेवजह कर्जदार बनाए जाने की बातें सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाया जाए कि ऐसे लोन किस बैंक या एनबीएफसी संस्था से जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति की वित्तीय साख बर्बाद करने वाले अज्ञात जालसाज को चिन्हित कर उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

एक नजर में

श्री रामनारायण तिवारी का निधन

जबलपुर। 113 संजीवनी नगर गढ़ा निवासी श्री राम नारायण तिवारी का 91 वर्ष में निधन हो गया। जिनकी अंतिम विदाई यात्रा 4 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3 बजे गौरीघाट मुक्ति धाम में सम्पन्न हुई। आप मनोज, आशीष तिवारी के पिता व आयुष तिवारी आदि तिवारी के दादा थे। अंत्येष्टि संस्कार में सर्व ब्राह्मण सभा के सदस्यों सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित थे।

कब्जा पाने एक साल से दर-दर भटक रहा पीड़ित परिवार

जबलपुर। एक बुजुर्ग किसान का परिवार अपनी ही साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि और मकान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे के कारण पिछले एक साल से बेघर है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी के ऊंचे रसूख के कारण माढ़ोताल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थक-हारकर पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक के पास लिखित गुहार लगाई है।

ग्राम कचनारी रेंगावां के निवासी पीड़ित हेमचंद पटेल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में बताया कि उनकी स्वयं की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई करीब साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि और मकान है। हेमचंद की तलाकशुदा पहली पत्नी के बेटे, आकाश पटेल, ने उनकी इस संपत्ति पर बुरी नीयत रख रखी थी। आरोप है कि करीब एक साल पहले आकाश पटेल ने एक साजिश के तहत हेमचंद और उनकी वर्तमान पत्नी के खिलाफ हत्या का प्रयास का एक झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जिसके चलते बुजुर्ग दंपत्ति को जेल जाना पड़ा। हेमचंद का कहना है कि जब वे और उनकी पत्नी जेल में थे, तब आरोपी आकाश पटेल ने मौके का फायदा उठाकर उनके पूरे मकान और खेती की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद जब पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन वापस मांगी, तो आरोपी ने उन्हें सपरिवार जान से मारने की धमकी दी। इस खौफ के कारण पीड़ित परिवार पिछले एक साल से अपने ही घर में कदम नहीं रख पाया है और दाने-दाने को मोहताज होकर दर-दर भटक रहा है। पीड़ित हेमचंद पटेल ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने माढ़ोताल थाने कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन आरोपी आकाश पटेल के संबंध क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं से हैं। इसी राजनीतिक रसूख और दबाव के चलते पुलिस ने आज तक आरोपी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे आरोपी के हौसले और बुलंद हैं। पीड़ित ने पुश्तैनी जमीन वापस दिलाने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।

इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत और न्याय की रक्षा का प्रतीक : डॉ. आब्दी

नवभारत, जबलपुर। इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा का प्रतीक है, ये बात अल्हाज डॉ. सैयद मुज्तबा हसन आब्दी ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी, उनके पैगाम और कर्बला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहीं।

मौका था हज़रत इमाम हुसैन के चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को मस्जिद इमानिया में आयोजित मजालिस-ए-चेहल्लुम का। इस दौरान मजलिस में मरसिया व सलाम सैयद एहतेशाम हैदर नकवी और सैयद नायब रिज़वी ने पेश किया, जबकि नौहे सैयद शुजाअत हुसैन रिज़वी, सैयद शमशुल हसन

रिज़वी, काज़िम हुसैन रिज़वी, सैयद फैज़ान, सैयद सलमान नकवी सहित अन्य अज़ादारों ने पढ़े, जिनके माध्यम से कर्बला की दर्दनाक घटनाओं और इमाम हुसैन तथा उनके साथियों पर हुए अत्याचारों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। मजलिस के उपरांत मस्जिद इमानिया से चेहल्लुम का मातमी जुलूस निकाला गया, जो फूटाताल चौराहे से होते हुए बड़े इमामबाड़ा, गलगला टोरिया पहुंचकर संपन्न हुआ।

इस जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर इमाम हुसैन की बारगाह में सलामी पेश की और अंजुमन रिफाय मोमिनीन के सद्र अबरार हुसैन, सचिव सैयद अफसर हुसैन तथा उपसचिव सलीम आब्दी ने चेहल्लुम के सफल आयोजन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभागों का आभार व्यक्त किया।

पति की प्रताड़ना से तंग नवविवाहिता ने लगाई थी फांसी

जबलपुर । हनुमानताल थाना अंतर्गत खाई मोहल्ला में एक नवविवाहिता ने अपने पति की रोज-रोज की प्रताड़ना, मारपीट और जुए की लत से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर उदयभान बागरी के अनुसार, 27 जून 2026 की रात करीब 12:35 बजे की नकुल धुर्वे (23) निवासी खाई मोहल्ला ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह खाना खाने के बाद अपनी पत्नी स्नेहा सोनकर (22) को बुलाने किराये के कमरे में गया था। अंदर से दरवाजा बंद था और कूलर लगा हुआ था। जब उसने दरवाजा खोलकर कूलर खिसकाया और अंदर गया, तो देखा कि स्नेहा लकड़ी की बल्ली से लटके पंखे पर चुनरी का फंदा बनाकर झूल रही थी। उसे तुरंत नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया था।

जुए में उड़ाता था पैसे, करता था मारपीट

मर्ग जांच के दौरान हनुमानताल पुलिस ने मृतिका स्नेहा के माता-पिता और भाई के बयान दर्ज किए। परिजनों ने रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही नकुल सुर्वे स्नेहा को बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा था। नकुल को शराब और जुए की लत थी। वह आए दिन जुए में पैसे उड़ा देता था और घर खर्च के लिए एक रुपया भी नहीं देता था। जब स्नेहा विरोध करती, तो वह शराब पीकर उसके साथ बर्बरता से मारपीट करता था। इसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने आत्मघाती कदम उठाया था। सीएसपी गोहलपुर ने बताया कि आरोपी पति नकुल सुर्वे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है।

राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच में 8 प्रकरण किए गए डिस्पोज

नवभारत,जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा सर्किट हाउस नंबर 2 में संयुक्त बेंच का आयोजन किया गया। संयुक्त बेंच में जबलपुर संभाग से कुल 25 प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिनमें कार्यस्थल पर प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और अन्य महत्वपूर्ण मामले सम्मिलित थे।

सुनवाई के दौरान अध्यक्ष और सचिव के समक्ष दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुल 18 प्रकरणों पर विचार किया गया। इस मौके पर 8 प्रकरणों को किया डिसपोज किया गया।

परिवार पेंशन बंद होने पर प्रतिवेदन तलब

जनसुनवाई के दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक पूर्व कर्मचारी की विधवा पत्नी द्वारा पारिवार पेंशन अचानक बंद किए जाने की शिकायत पर विशेष रूप से सुनवाई की गई। शिकायतकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी पारिवारिक पेंशन बंद कर दी गई हैए जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने फैक्ट्री प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे शिकायत की प्रति प्राप्त कर एक माह के भीतर सभी तथ्यात्मक अभिलेखों और अपने पक्ष के साथ विस्तृत प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।आयोग ने स्पष्ट किया कि विधवा महिला को न्यायोचित राहत दिलाने और प्रकरण के निष्पक्ष निराकरण के लिए मामले की आगामी सुनवाई पुन: निर्धारित की जाएगी। संयुक्त जनसुनवाई में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सदस्य साधना स्थापक एवं सचिव सुरेश तोमर सहित आयोग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह ने बताया कि आयोग की संयुक्त बेंच बुधवार 5 अगस्त को भी जारी रहेगी ताकि अन्य लंबित मामलों का भी त्वरित निराकरण किया जा सके।

जबलपुर संघर्ष समिति ने निर्णय का किया स्वागत

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर से कोलकाता के मध्य, एलायंस एयर द्वारा 8 अगस्त से सीधी वायुसेवा प्रारंभ किए जाने का जबलपुर संघर्ष समिति ने स्वागत किया है। समिति ने इसे जबलपुर एवं महाकौशल क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

जबलपुर संघर्ष समिति के संयोजक हिमांशु खरे ने कहा कि जबलपुर से कोलकाता की सीधी उड़ान की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस वायुसेवा के प्रारंभ होने से जबलपुर सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों से जबलपुर की

कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

पुणे, अहमदाबाद व चेन्नई के लिए भी जारी रहेगा संघर्ष - इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जबलपुर संघर्ष समिति का उद्देश्य केवल एक-दो नई उड़ानों तक सीमित नहीं है। जबलपुर को देश के प्रमुख व्यावसायिक एवं औद्योगिक शहरों से बेहतर हवाई संपर्क दिलाने के लिए समिति लगातार प्रयासरत है। समिति के बलदीप मैनी, हिमांशु राय, मनु शरत तिवारी, प्रीति चौधरी, देवब्रत मिश्रा ने बताया कि अब जबलपुर से पुणे, अहमदाबाद एवं चेन्नई के लिए सीधी वायुसेवा प्रारंभ करने की मांग को प्राथमिकता दी जा रही है। समिति का मानना है कि ये तीनों शहर जबलपुर के उद्योग, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और निवेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

जनप्रतिनिधियों का जताया आभार- जबलपुर संघर्ष समिति ने एलायंस एयर के प्रबंधन, स्थानीय प्रबंधन तथा इस वायुसेवा को शुरू कराने में सहयोग करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। 'समिति ने स्पष्ट किया कि 'जबलपुर की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार हमारी प्राथमिकता है और पुणे, अहमदाबाद एवं चेन्नई के लिए सीधी उड़ानों की मांग को लेकर हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

अवैध शराब के जखीरे के साथ एक गिरफ्तार, मुख्य तस्कर फरार

नवभारत, जबलपुर। गोराबजार पुलिस ने देशी और विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

गोराबजार थाना प्रभारी संजीव कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, सूचना मिली कि पिगरी टपरिया बस्ती निवासी रज्जू यादव ने अपने घर के पास भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखी है। सूचना के आधार

पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी घेराबंदी कर सूरज देशकर 48 वर्ष, निवासी 90 क्वाटर, थाना संजीवनीनगर को दबोच लिया। पुलिस ने जब रज्जू यादव के मकान के पास खाली जगह की तलाशी ली, तो वहां से कुल 750 पाव देशी और 23 बोतल अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 87,500 रुपये की जप्त की गई।

3,000 देकर शराब की निगरानी

गिरफ्तार आरोपी सूरज देशकर ने पूछताछ में बताया कि बरामद शराब रज्जू उर्फ राजेश यादव की है। रज्जू ने उसे शराब की रखवाली और निगरानी करने के बदले 3,000 रुपये दिए थे। पुलिस ने आरोपी सूरज देशकर और फरार मुख्य आरोपी रज्जू उर्फ राजेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपी रज्जू यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

लकवा ग्रस्त युवक ने तनाव में की खुदकुशी

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत नीमखेड़ा निवासी एक लकवा ग्रस्त युवक ने तनाव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को राखा बर्मन 26 वर्ष निवासी नीमखेड़ा गौर ने सूचना दी कि उसका पति विकास बर्मन 37 वर्ष अत्याधिक शराब पीते थे एवं तीन वर्ष से लकवा की बीमारी से पीड़ित थे तनाव के चलते कमरे में लगी बल्ली के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रेन से कटे युवक की मौत

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गढ़ा कछपुरा रेल्वे अप ट्रेक में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक ने आत्महत्या की है या वह किसी हादसे का शिकार हुआ इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक कछपुरा रेल्वे स्टेशन से ट्रेक मेन संजीवनीनगर ने सूचना दी कि मंगलवार सुबह लगभग 7-30 बजे गढ़ा कछपुरा रेल्वे अप ट्रेक में ट्रेन से कटकर एक 40 वर्ष युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास जारी है।

तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, तीन गंभीर घायल

उमरिया नवभारत। जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी तुम्मी में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। बताया जा रहा है देर रात तेज रफ्तार कार क्रमांक एमपी 18 जेडएच 3550 तुम्मी से पिकनिक मनाकर वापस शहडोल जा रही थी। इसी दौरान सिद्ध घाट के नीचे अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायल शहडोल निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि कार सवार पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने के खतरे को उजागर कर दिया है।

सम्मेलन | 8वें वेतन आयोग सहित प्रमुख मांगों पर बनेगी राष्ट्रीय रणनीति, देशभर से जुटेंगे कर्मचारी प्रतिनिधि

दिल्ली से उठेगी पुरानी पेंशन की हुंकार, 6 सितंबर को राष्ट्रीय महासम्मेलन

नवभारत,जबलपुर। पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारी 6 सितंबर को नई दिल्ली में एकजुट होंगे। ऑल इंडिया एन.पी.एस. एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महासम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बड़ी संख्या में शामिल होने का दावा किया गया है। सम्मेलन में कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों पर व्यापक चर्चा के साथ आगामी आंदोलन की दिशा और रणनीति तय की जाएगी।

फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में होने वाले इस

महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में कर्मचारियों के हितों की प्रभावी पैरवी करना है।

फेडरेशन के राष्ट्रीय अतिरिक्त सचिव राकेश राय ने बताया की देशभर से कर्मचारी संगठन एक मंच पर आकर साझा रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा की यह सम्मेलन कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।

कोर समिति के सदस्य नीरज त्रिपाठी, मुकेश कुमार, मनीष पांडे, प्रदीप डोरा, गोपाल मीणा और हिमांशु कुमार ने अधिक से अधिक कर्मचारियों से नई दिल्ली पहुंचकर महासम्मेलन को सफल बनाने की अपील की है।

फेडरेशन ने कहा है की यदि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो इसी महासम्मेलन से देशव्यापी महाआंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।